

# DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 146895280818040705

Date : 28-08-2018

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री INDU SRIVASTAVA W/O SRI SANTOSH PRASAD SRIVASTAVA,  
मोहल्ला KOLAKUSMA DHANBAD DHANBAD , 6202939730  
DHANBAD , 826001

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0230003385000M0 वार्ड सं. 23 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	150.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		150.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. पर निर्धारण की सूची DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website [www.jharkhandmunicipal.org](http://www.jharkhandmunicipal.org) पर पताशेष है।
2. नियमावली कालिका 11 के अलावा स वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लकड़ा जायगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निम्न को सूचित कर तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पावे।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान पैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घुति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घुति को निदिष्ट समयवाधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गृह घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण सूह-घोषणा पत्र की स्थानीय जाल बंधा समय निगमा कना सकती है एवं सध्व गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित आदि (Penal) एवं अतर राशि देय होगा।
7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संचालित इस सम्पत्ति कर इन इनस्तरायाको को कोडे बमनी ईमिल पर प्रदान नहीं करता है और या न ही अपने मासिक / दशलकर को कोडे कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नय होडिग नजा का आडिरी संक 5/6/7/8 है तो यह विशेष संरचनाओं की शर्ती के अन्तर्गत माना जायगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.